

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)  
पीठासीन अधिकारी— श्री नरेश कुमार मालव  
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
247/अपील/2017	08.11.2017	25.05.2018

बद्री आ0 मोती गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांवतगढ़ तहसील  
हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)

— अपीलांट

— बनाम —

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)

— रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 27.10.2016

नायब तहसीलदार, दबलाना

अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से — श्री राजेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक।  
रेस्पोजेन्ट की ओर से — परोकार सरकार

—: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 558 रकबा 10 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम सांवतगढ़ तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 1250/- रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट के



विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की असत्य रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। केवल मात्र पटवारी व भू-अभिलेख रिपोर्ट के आधार पर बिना स्वतंत्र गवाह लिये ही अपीलान्ट को अपीलान्ट का अतिक्रमण मानकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को पूर्व में अतिक्रमित भूमि से बेदखल नहीं किया गया अपीलान्ट का कोई सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है एवं पैनाल्टी राशि भी जमा करवा दी है। अपीलान्ट उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।


पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व रिपोर्ट पटवारी व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने अपील में निवेदन किया है कि उसने अतिक्रमित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कब्जा छोड़ने बाबत पटवारी रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने बाबत कोई साक्ष्य नहीं है। बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्ट को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय व पटवारी बयान व रिपोर्ट में अंकित है जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना



प्रमाणित होता है तथा अपीलान्त विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा बहुत अधिक चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।  
आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
25.5.18  
(नरेश कुमार मालव R.A.S.)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
बून्दी (राज0)

राजस्थान सरकार, वृत्त, बून्दी, राजस्थान

— रजिस्ट्रार

जिला न्यायालय, बून्दी, राजस्थान  
आदेश संख्या: 25/2018  
आदेश दिनांक: 25.05.2018

संपादित

आदेश की ओर से - श्री नरेश कुमार मालव, अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी, राजस्थान

— रजिस्ट्रार

यह अपील संख्या 25/2018 दिनांक 27.04.2018 से उपरोक्त जिला न्यायालय में अर्जित हुआ था। अपीलान्त आदेश के अंतर्गत अपीलान्त को खारिज करके अपीलान्त के अंतर्गत अपीलान्त को खारिज करके अपीलान्त को खारिज किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर अपीलान्त के अंतर्गत अपीलान्त को खारिज करके अपीलान्त को खारिज किया गया है।

अपीलान्त के अंतर्गत अपीलान्त को खारिज करके अपीलान्त को खारिज किया गया है।

